

09.05.17

पुनश्च: 05:15पी.एम.

पक्षकार पूर्ववत्।

संबंधित मध्यस्थ से मध्यस्थता रिपोर्ट सेटलमेन्ट डीड के साथ प्राप्त जिसके अनुसार मध्यस्थता सफल रही।

प्रकरण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है जिसमें से धारा 323/34 स्वतः तथा धारा 294, 506 भाग दो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है। फरियादी रामाबाई व छुन्नालाल ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है और राजीनामा के आधार पर आरोपी अजमेर, देवेन्द्र, सावित्री को भा.द.स. की धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत व मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को दाखिल अभिलेखागार किया जाये।

सही / -

(गोपेश गर्ग)

जे.एम.एफ.सी., गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)